व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
21/2/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आग्रिम कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत मे दिनांक 12/3/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (सिरोही)	
12/3/22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखने से पत्रावली दिनांक 30/03/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (सिरोही)	
30/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में जवाब प्रा. पत्र पेश। हमने प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत तथ्य, जवाब सरकार व सभी साक्ष्यो का अवलोकन किया व बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 लाया गया है। जिसके अंतर्गत प्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम ओरिया पटवार हल्का ओरिया के खसरा सं. 887, 888, 890, 891, 894, 895 की कुल 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी के 5/6 हिस्से की भूमि की किस्म गै. मु. आबादी के स्थान पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर[illegible] एवं [illegible]लदार आबूरोड के संपत्ति[illegible] रूपा./92/209-212 [illegible] 7.1992 मे वर्णित अन्य खसरो की [illegible]मि की किस्म भी गै. मु. आबादी के स्थान पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दर्ज करवाने हेतु लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/245 दिनांक 05.02.2020 कार्यालय तहसीलदार	N.T.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:06:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आबूरोड जिला-सिरोही (राज.) मे भी उल्लेख है कि उक्त नामान्तरकरण गलत दर्ज हुआ है व जवाब सरकार मे उल्लेख है कि सपरिवर्तन का पूर्ण नामान्तरकरण भुलाने से रह गया था। चूंकि उक्त प्रकरण गलत व अधूरे नामान्तरण का है, यह प्रकरण धारा 136 के अंतर्गत नही आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि., 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:06:56 IST
Reason: SelfAttested